

दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

निर्णय सुरक्षित : 25.05.2023

निर्णय उद्घोषित: 12.07.2023

+ आ.क.आ 306/2023

आयकर आयुक्त - अंतर्राष्ट्रीय
कराधान -3

..... अपीलार्थी

द्वारा : श्री रुचिर भाटिया, वरिष्ठ स्थायी
अधिवक्ता।

बनाम

स्प्रिंगर नेचर कस्टमर सर्विसेज सेंटर जीएमबीएच
(पहले स्प्रिंगर कस्टमर्स सेंटर के रूप में जाना जाता था)
जीएमबीएच)

..... प्रत्यर्थी

द्वारा : श्री हिमांशु सिन्हा सह श्री भुवन धूपर,
अधिवक्तागण।

कोरम:

माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव शकधर

माननीय न्यायमूर्ति श्री गिरीश कठपालिया

[भौतिक सुनवाई/हाइब्रिड सुनवाई (अनुरोध के अनुसार)]

राजीव शकधर, न्या.:

प्रस्तावनात्मक तथ्य

1. यह अपील आयकर अपीलीय अधिकरण (संक्षेप में, "अधिकरण") द्वारा निर्धारण वर्ष 2013-14 के सम्बन्ध में पारित आदेश दिनांकित 14.10.2022 के विरुद्ध निर्देशित की गई है। आक्षेपित आदेश के माध्यम से, अधिकरण ने

आंशिक रूप से प्रत्यर्थी / निर्धारिती द्वारा दायर की गई अपील को अनुमति प्रदान की है।

2. अपील को न्यायनिर्णित करने हेतु, निम्नलिखित व्यापक तथ्यों पर ध्यान देना प्रासंगिक होगा:

3. प्रत्यर्थी / निर्धारिती ने संबंधित निर्धारण वर्ष अर्थात् निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए दिनांक 31.03.2015 को आय विवरणी (आरओआई) दायर की थी। उक्त आरओआई द्वारा, प्रत्यर्थी / निर्धारिती ने अपनी आय को "शून्य" घोषित किया, जिसे प्रारंभ में आयकर अधिनियम, 1961 (संक्षेप में, "अधिनियम") की धारा 143(1) के अंतर्गत संसाधित किया गया था।

3.1 तथापि, आरओआई को संवीक्षा हेतु चिह्नित किया गया और तदनुसार, अधिनियम की धारा 143(2) के अंतर्गत प्रत्यर्थी / निर्धारिती को नोटिस दिनांकित 20.08.2015 जारी किया गया।

4. निर्धारण अधिकारी (एओ), अधिनियम की धारा 143(3) सह पठित धारा 144ग(3)(क) के अंतर्गत पारित आदेश दिनांकित 04.05.2016 में प्रत्यर्थी / निर्धारिती की आय में तीन परिवर्धन किए गए हैं।

4.1 पहला परिवर्धन एक भारतीय संस्था स्प्रिंगर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (संक्षेप में, "एसआईपीएल") द्वारा एक कमीशनरी समझौते के खिलाफ प्रत्यर्थी /

निर्धारिती को भुगतान की गई 24,84,114 रुपये की राशि से संबंधित था। इस परिवर्धन में दो घटक शामिल थे।

4.2 पहले घटक में कमीशनरी शुल्क सम्मिलित था, जिसकी राशि 22,89,835 रुपये थी। ऐसा प्रतीत होता है कि इस भुगतान को एसआईपीएल द्वारा दायर प्रपत्र 3सीईबी आख्या में "उत्पादन और संपादकीय शुल्क" के रूप में वर्गीकृत किया गया था। सांविधिक प्राधिकरणों के समक्ष प्रत्यर्थी / निर्धारिती का रुख यह था कि यद्यपि इस भुगतान को अनजाने में उत्पादन और संपादकीय शुल्क के रूप में वर्गीकृत किया गया था, लेकिन यह प्रदान की गई सेवाओं के बदले प्राप्त कमीशनरी के अतिरिक्त कुछ नहीं था।

4.3 उपरोक्त (प्रथम) परिवर्धन का दूसरा घटक 1,94,279 रुपये की राशि थी, जिसे एसआईपीएल द्वारा दायर प्रपत्र 3सीईबी आख्या के अनुसार, "मुद्रित रूप में भारतीय पत्रिकाओं" की बिक्री के लिए "सेवा शुल्क" के रूप में वर्गीकृत किया गया था।

4.4 एओ द्वारा किया गया द्वितीय परिवर्धन 16,67,83,110 रुपये की राशि का था। यह राशि दो भारतीय संस्थाओं, अर्थात् इन्फार्मेटिक्स पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड एवं जेडएस एसोसिएट्स से ई-पत्रिकाओं के लिए प्रत्यर्थी / निर्धारिती द्वारा प्राप्त सदस्यता शुल्क को दर्शाती है।

4.5 तृतीय परिवर्धन 2,62,85,504 रुपये की राशि का है। यह राशि प्रत्यर्थी / निर्धारिती द्वारा भारत में स्थित तीसरे पक्षकर के ग्राहकों से एसआईपीएल की

ओर से ऑनलाइन पत्रिकाओं और/या पुस्तकों की बिक्री हेतु एकत्र की गई थी। एसआईपीएल की प्रपत्र 3सीईबी आख्या में, उक्त राशि को "मुद्रित रूप में भारतीय पत्रिकाओं के एई (एसोसिएट एंटरप्राइज) द्वारा बिक्री से सकल आय" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

4.6 एओ ने उपरोक्त तीनों परिवर्धन को रॉयल्टी के रूप में माना, और इसके लिए, अधिनियम की धारा 9(1)(vi) और भारत-जर्मनी दोहरा कराधान परिहार समझौते (संक्षेप में, "डीटीएए") के अनुच्छेद 12 के प्रावधानों को लागू किया।

5. चूंकि प्रत्यर्थी / निर्धारिती किए गए परिवर्धन से असंतुष्ट था, इसलिए उसने आयकर आयुक्त (अपील) [संक्षेप में, "सीआईटी(ए)"] के समक्ष अपील दायर की। आयकर आयुक्त (अपील) ने, आदेश दिनांकित 22.01.2019 द्वारा आंशिक रूप से अपील की अनुमति दी। आयकर आयुक्त (अपील) ने पहले परिवर्धन के दूसरे घटक को हटा दिया, यानी 1,94,279 रुपये की राशि, जिसे "मुद्रित रूप में भारतीय पत्रिकाओं" की बिक्री के लिए "सेवा शुल्क" के रूप में वर्गीकृत किया गया था। इस बीच, आयकर आयुक्त (अपील) ने प्रथम परिवर्धन के पहले घटक यानी 22,89,835 रुपये को रॉयल्टी के बजाय तकनीकी सेवाओं के शुल्क (संक्षेप में, "एफटीएस") के रूप में वर्गीकृत किया। तदनुसार, आयकर आयुक्त (अपील) ने अधिनियम की धारा 9(1)(vi) और डीटीएए के अनुच्छेद 12 (4) के प्रावधानों का सहारा लिया।

तदनुसार, सीआईटी (ए) ने अधिनियम की धारा 9 (1) (vi) और डीटीए के अनुच्छेद 12 (4) के प्रावधानों का सहारा लिया।

5.1 जहां तक दूसरे और तीसरे परिवर्धन का संबंध है आयकर आयुक्त (अपील) ने दोनों ही संबंध में इसकी पुष्टि की अर्थात् राशि के साथ-साथ निर्धारण अधिकारी द्वारा उनके साथ किए गए बर्ताव की भी। दूसरे शब्दों में, इन राशियों को आयकर आयुक्त (अपील) द्वारा रॉयल्टी के रूप में भी माना जाता था।

5.2 इस निर्णय के कारण प्रत्यर्थी/निर्धारिती ने अधिकरण में अपील को दायर दी।

6. अधिकरण ने दिनांक 14.10.2022 के आक्षेपित आदेश के *जरिये* पहले परिवर्धन के पहले घटक को हटा दिया गया था जिसकी, जैसा कि ऊपर उल्लिखित है कि आयकर आयुक्त (अपील) द्वारा पुष्टि की गई थी। इस संबंध में, अधिकरण ने आयकर अपील सं. 434 और 3826/डीईएल/2019 में पारित अपनी समन्वय पीठ के दिनांक 23.08.2022 के एक निर्णय पर *स्प्रिंगर वर्ल्ड* *जीएमबीएच बनाम डीसीआईटी* के मामले में भरोसा किया। अधिकरण का यह निर्णय निर्धारण वर्ष 2014-15 और निर्धारण वर्ष 2015-16 से संबंधित है।

6.1 जहां तक दूसरे परिवर्धन का संबंध है, अधिकरण ने प्रत्यर्थी/निर्धारिती द्वारा उठाई गई आपत्ति को स्वीकार कर लिया कि सदस्यता शुल्क को रॉयल्टी के रूप में नहीं माना जा सकता है। जहां तक इस पहलू का संबंध है, अधिकरण

ने *इंजीनियरिंग विश्लेषण उत्कृष्टता केंद्र (पी) लिमि. बनाम सीआईटी*, [2021]

432 आईटीआर 471 (एससी) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का पालन किया।

7. यह इस पृष्ठभूमि में है कि अपीलकर्ता/राजस्व ने तत्काल अपील को प्राथमिकता दी है।

अधिवक्ता की दलीलें

8. अपीलकर्ता/राजस्व की ओर से अपील के समर्थन में दलीलें वरिष्ठ स्थायी अधिवक्ता रुचिर भाटिया द्वारा पेश की गई जबकि प्रत्यर्थी/निर्धारिती की ओर से हिमांशु सिन्हा ने दलीलें दीं।

9. मोटे तौर पर, श्री भाटिया द्वारा दिए गए तर्कों को निम्नानुसार समझा जा सकता है:-

9.1 आयकर आयुक्त द्वारा एफटीएस के रूप में प्रमाणित 22,89,835/- रुपये की परिवर्धन राशि कमीशनरी समझौते की शर्तों को ध्यान में रखते हुए तर्कसंगत थी। वैश्विक स्तर पर उत्पादों के प्रचार, बिक्री और वितरण जैसी सेवाओं को परामर्श सेवाओं के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसी तरह, ऑर्डर हैंडलिंग, इन्वेंट्री प्रबंधन, देनदार प्रबंधन और सदस्यता प्रबंधन जैसी सेवाओं को प्रबंधकीय सेवाओं के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

9.2 इस प्रकार प्रत्यर्थी/निर्धारिती द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं व्यापक और विशिष्ट थीं। इसलिए, इस न्यायालय की समन्वय पीठ के *डीआईटी बनाम*

पनाल्फा ऑटोलेक्ट्रिक लिमिटेड, [2014] 227 टेक्समैन 351 (दिल्ली) के निर्णय की कोई प्रयोज्यता नहीं होगी क्योंकि उस मामले में अनिवासी इकाई द्वारा प्रदान की गई सेवा केवल निर्यात आदेशों की खरीद से संबंधित थी।

9.3 कमीशनरी समझौते के तहत प्रबंधकीय और परामर्शी सेवाओं के साथ-साथ तकनीकी सेवाओं में मानवीय हस्तक्षेप भी शामिल है। [देखें *सीआईटी बनाम कोटक सिव्योरिटीज लिमि.*, [2016] 383 आईटीआर 1 (एससी)]। कमीशनरी समझौते के तहत प्रत्यर्थी/निर्धारिती द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं, जिसमें ऑर्डर हैंडलिंग, इन्वेंट्री प्रबंधन, देनदार प्रबंधन और सदस्यता प्रबंधन शामिल हैं, में मानवीय प्रयास शामिल हैं और इसलिए एक प्रबंधकीय और तथाकथित परामर्श सेवा का रंग ले लिया है। इसी तरह, विपणन और बिक्री सेवाओं में प्रबंधकीय कार्य का एक तत्व भी शामिल है।

9.4 संक्षेप में, प्रदान की जाने वाली सेवाएं एफटीएस के रूप में अर्हता प्राप्त करेंगी क्योंकि वे प्रबंधकीय, तकनीकी और तथाकथित परामर्श सेवाओं की प्रकृति में थीं, जैसा कि डीटीए के अनुच्छेद 12 और अधिनियम की धारा 9 के तहत परिभाषित किया गया है।

10. जहां तक दूसरे परिवर्धन का संबंध है, जो प्रत्यर्थी/निर्धारिती द्वारा अपने संबद्ध प्रकाशकों को प्रदान की गई सेवाएं थीं, श्री भाटिया ने तर्क दिया कि उन पर एफटीएस के रूप में भी कर लगाया जाएगा क्योंकि प्रदान की गई सेवा का दायरा और क्षेत्र कमीश्रर समझौते के तहत प्रदान की गई सेवाओं के समान था।

10.1 उपरोक्त प्रतिविरोध पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, श्री भाटिया ने तर्क दिया कि दूसरा परिवर्धन वैकल्पिक रूप से रॉयल्टी का गठन करेगा, जैसा कि दोनों निर्धारण अधिकारी के साथ आयकर आयुक्त (अपील) द्वारा निष्कर्ष निकाला गया है। चूंकि अधिकरण ने *इंजीनियरिंग विश्लेषण* के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए परिवर्धन को हटा दिया है, इस पहलू पर अंतिम निर्णय उक्त मामले में अपीलकर्ता/राजस्व द्वारा दायर की गई पुनर्विलोकन याचिका पर निर्भर करेगा, जो वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष न्यायनिर्णयन हेतु लंबित है।

11. अपने प्रस्तुतिकरण के समर्थन में कि क्या प्रबंधकीय, तकनीकी या परामर्श सेवा का गठन करता है, श्री भाटिया ने ऊपर उल्लिखित निर्णयों के साथ-साथ निम्नलिखित निर्णयों/आदेशों पर भरोसा किया:

i) *जीवीके इंस्ट्रीज लिमि. बनाम आयकर अधिकारी*, [2015] 371 आईटीआर 453 (एससी)

ii) संदर्भ: *वालेस फार्मास्यूटिकल्स पी.लि.*, [2005] 278 आईटीआर 97 (एएआर)

iii) *डिवाइस ड्रिवन (इंडिया) (पी.) लिमिटेड बनाम सीआईटी*, [2021] 126 *taxmann*25 (केरल)

12. दूसरी ओर, श्री हिमांशु सिन्हा ने अपील की स्वीकृति का विरोध करते हुए, निम्नलिखित का उल्लेख किया :-

12.1 प्रत्यर्थी/निर्धारिती, जो एक जर्मन कंपनी है, विचाराधीन अवधि के दौरान स्प्रिंगर साइंस + बिजनेस मीडिया ग्रुप [संक्षेप में, "द स्प्रिंगर ग्रुप"] का हिस्सा था। स्प्रिंगर समूह प्राकृतिक विज्ञान, प्रौद्योगिकी और चिकित्सा के क्षेत्र में पुस्तकों, और अकादमिक पत्रिकाओं को प्रकाशित करने के व्यवसाय में संलग्न था।

12.2 स्प्रिंगर समूह के व्यापार मॉडल के हिस्से के रूप में, प्रत्यर्थी/निर्धारिती ने अमेरिका को छोड़कर, विश्व स्तर पर स्प्रिंगर समूह की संबद्ध प्रकाशक संस्थाओं, जिसमें एसआईपीएल भी शामिल था, के एक गैर-अनन्य बिक्री प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया। प्रत्यर्थी/निर्धारिती और एसआईपीएल के बीच निष्पादित कमीशनरी समझौते में स्प्रिंगर समूह के हिस्से के रूप में प्रत्यर्थी/निर्धारिती द्वारा किए गए कार्यों को शामिल किया गया था।

12.3 तदनुसार, प्रत्यर्थी/निर्धारिती, कमीशनरी के रूप में अपनी नियुक्ति के अनुसरण में, एसआईपीएल द्वारा प्रकाशित मुद्रित और इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकों और पत्रिकाओं का प्रचार, विक्रय और वितरण किया। इसके अलावा, उसी कमीशनरी समझौते के तहत, प्रत्यर्थी/निर्धारिती ने अन्य सेवाओं के अलावा बिक्री और विपणन सेवाएं, ग्राहक सेवाएं, ऑर्डर संभालना, डिलीवरी चालान, देनदार और सदस्यता प्रबंधन, और वापस की गई प्रतियों के प्रसंस्करण संबंधी सेवाएं प्रदान

कीं। परिणामस्वरूप, प्रत्यर्थी/निर्धारिती ने तीसरे पक्ष के ग्राहकों को इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकों और पत्रिकाओं की बिक्री से सदस्यता और अन्य राजस्व/शुल्क एकत्र किए, जिसे उसने, यद्यपि कमीशनरी समझौते के तहत सहमति के अनुसार, अपने कमीशनरीरीरी को रखने के बाद, अंततः एसआईपीएल को भुगतान किया।

12.4 उपरोक्त भुगतानों को एफटीएस के रूप में माना जाने के लिए, किसी को यह निष्कर्ष निकालना होगा कि भुगतान प्रबंधकीय, परामर्श या तकनीकी सेवाएं प्रदान करने के लिए प्राप्त किए गए थे। आयकर आयुक्त(अ) ने यह नहीं बताया है कि प्रत्यर्थी/निर्धारिती द्वारा दी जाने वाली सेवाएं किस मद में आएंगी। सिन्हा के अनुसार, प्रदान की जाने वाली सेवाएं प्रबंधकीय, परामर्शी या तकनीकी भी नहीं हैं।

13. प्रबंधकीय के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए एक सेवा के लिए, इसमें प्रबंधन का एक तत्व होना चाहिए। सेवा प्रदाता को नीति तैयार कर, और/या कर्मियों का नियंत्रण और पर्यवेक्षण कर सेवा प्राप्तकर्ता के व्यवसाय का प्रबंधन करना चाहिए। मानवीय हस्तक्षेप के साथ प्रदान की गई सेवा को एक प्रबंधक का चरित्र और भूमिका ग्रहण करनी चाहिए। श्री सिन्हा ने तर्क दिया कि केवल बिक्री, लेखा परीक्षा या वित्त से जुड़े व्यावसायिक संचालन में सहायता प्रदान करना या तो अधिनियम और या डी.टी.ए.ए. के अर्थ के भीतर प्रबंधकीय सेवाओं के रूप में नहीं माना जा सकता है।

13.1 इस प्रकार, प्रबंधकीय सेवा के रूप में किसी सेवा का निर्माण करने के लिए, इसमें निम्नलिखित व्यापक विशेषताएं होनी चाहिए :-

(i) इसमें सेवा प्राप्तकर्ता के मामलों का नियंत्रण, आयोजन, निर्देश जारी करना और प्रशासन शामिल होना चाहिए।

(ii) किए जा रहे काम के संबंध में मष्तिष्क और/या विचार प्रक्रिया का स्वतंत्र प्रयोग होना चाहिए।

13.2 उपरोक्त याचिका के समर्थन में, श्री सिन्हा ने निम्नलिखित निर्णयों का अवलंब लिया :-

(i) *डीआईटी बनाम पनाल्फा ऑटोलेक्ट्रिक लिमिटेड*

(ii) *यूपीएस एससीएस (एशिया) लिमिटेड, आईटीए संख्या 2426/एमयूएम/2010 दिनांकित 22.02.2012.*

(iii) *आर. डालमिया बनाम सी.आईटी., [1977] 106 आईटीआर 895 (एससी)*

(iv) *जीन्स निट (पी.) लिमिटेड बनाम डीसीआईटी, (2012) 23 taxamcom 393 (बैंगलोर आईटीएटी), जिसकी पुष्टि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने [2020] 428 आईटीआर 285 में की थी।*

13.3 एक सेवा को तकनीकी सेवा के रूप में माना जाने के लिए, इसमें तकनीकी क्षेत्र से संबंधित कुछ विशेष कौशल या ज्ञान का प्रयोग शामिल होना चाहिए।

13.4 परामर्श सेवा में एक पेशेवर द्वारा सलाह देना, या सलाहकार सेवाओं का विस्तार करना शामिल है, हालांकि तकनीकी और परामर्श सेवाओं के बीच अतिव्याप्ति हो सकती है। कुछ मामलों में, परामर्श सेवाओं में तकनीकी क्षेत्र में प्रवेश करना शामिल हो सकता है। ऐसे मामले भी हैं जहां परामर्श सेवाओं में प्रौद्योगिकी में विशेषज्ञता के साथ या बिना सलाह प्रदान करना शामिल है।

13.5 श्री सिन्हा ने तर्क दिया कि प्रत्यर्थी/निर्धारिती का काम एसआईपीएल द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप में या किसी अन्य तरीके से प्रकाशित पुस्तकों को बेचना और प्रचार करना और वितरित करना था। इसके अलावा, प्रत्यर्थी/निर्धारिती ने व्यवसाय संचालन के लिए सहायक सेवाएं भी प्रदान कीं। इस प्रकार, उत्तरदाता/निर्धारिती द्वारा दी जाने वाली किसी भी सेवा में तकनीकी विशेषज्ञता या सलाह का कोई तत्व शामिल नहीं था। इसलिए, प्रत्यर्थी/निर्धारिती द्वारा प्रदान की गई सेवाओं को डीटीएए या अधिनियम के तहत एफटीएस के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है।

13.6 इसके अलावा, श्री सिन्हा ने प्रस्तुत किया कि अधिकरण ने अपने फैसले *स्प्रिंगर वर्ल्ड* मामले पर सही भरोसा किया, जिसमें इस न्यायालय और अन्य न्यायालयों द्वारा व्यक्त निम्नलिखित निर्णयों और सिद्धांतों की जांच की गई थी,

और उस मामले में आयकर आयुक्त (अपील) द्वारा किए गए परिवर्धन को हटा दिया गया था:

i. डीआईटी बनाम पनाल्फा ऑटोलेक्ट्रिक लिमिटेड

ii. आयकर आयुक्त बनाम ग्रुप आईएसएम (पी) लिमिटेड [2015] 57 taxmancom450 (डेल)

iii. इवोलव क्लोदिंग कंपनी (पी) लिमिटेड बनाम एसीआईटी [2018] 94 taxmancom449 (मैड)

iv. स्काईसेल कम्युनिकेशंस लिमिटेड एवं अफ्न्य बनाम डीसीआईटी [2001] 251 आईटीआर 53 (मैड)

तर्क और विश्लेषण

14. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने और अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद, जैसा कि ऊपर उल्लिखित तथ्यों के प्रारंभिक अवलोकन से स्पष्ट है, अपीलकर्ता/राजस्व अधिकरण द्वारा आक्षेपित आदेश के माध्यम से हटाए गए दो (2) परिवर्धन से व्यथित था।

15. जहां तक पहले हटाए गए परिवर्धन का संबंध है, आयकर आयुक्त (अपील) ने दो घटकों में से एक को बनाए रखा, जिसमें प्रत्यर्थी/निर्धारिती द्वारा प्राप्त कमीशनरी शामिल था जिसे रॉयल्टी के बजाय एफटीएस के रूप में माना गया था। उस हद तक, आयकर आयुक्त (अपील) मूल्यांकन आदेश से दूर हो गया।

15.1 अधिकरण ने इस संबंध में आयकर आयुक्त (अपील) द्वारा दिए गए निष्कर्ष को उलट दिया। इसमें शामिल राशि 22,89,835 रुपये थी। निस्संदेह, इस परिवर्धन को एफटीएस के रूप में बनाए रखने के लिए, प्रत्यर्थी/निर्धारिती द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को निम्नलिखित श्रेणियों में से एक या अधिक के अंतर्गत होना चाहिये, अर्थात् प्रबंधकीय, तकनीकी या परामर्श सेवाएं, यह अधिनियम की व्याख्या 2 सहपठित धारा 9 (1) (vi) (बी) और दोहरा कराधान परिहार समझौते के अनुच्छेद 12 (4) के तहत के प्रावधानों के पठन से स्पष्ट है।

15.2 धारा 9 भारत में होने वाली आय के संबंध में एक अभिग्रहीत कल्पना प्रदर्शित करती है, जिसमें, *अन्य बातों के साथ-साथ*, एक निवासी व्यक्ति द्वारा भुगतान किया गया एफटीएस भी शामिल है। उक्त प्रावधान में संलग्न स्पष्टीकरण 2 में एफटीएस को किसी प्रबंधकीय, तकनीकी या परामर्श सेवाओं को प्रदान करने के लिए (किसी भी एकमुश्त विचार सहित) परिभाषित किया गया है, लेकिन इसमें प्राप्तकर्ता द्वारा किए गए किसी भी निर्माण, संयोजन, खनन या इस तरह की परियोजना के लिए विचार शामिल नहीं है या विचार जो प्राप्तकर्ता की आय होगी जो "वेतन" शीर्षक के तहत शुल्क योग्य होगी।

15.3 अनुच्छेद 12 (4) एफटीएस को निम्नानुसार परिभाषित करता है:

"इस अनुच्छेद में प्रयुक्त "तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क" शब्द का अर्थ प्रबंधकीय, तकनीकी या परामर्श प्रकृति की सेवाओं के लिए किसी भी राशि का भुगतान है, जिसमें तकनीकी या

अन्य कर्मियों द्वारा सेवाओं का प्रावधान शामिल है, लेकिन इस समझौते के अनुच्छेद 15 में उल्लिखित सेवाओं के लिए भुगतान शामिल नहीं है।

15.4 इसलिए, कमीशनरीरी समझौते के अनुसार प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में प्रत्यर्थी/निर्धारिती द्वारा प्राप्त विचार को एफटीएस के रूप में माना जाए, सेवाओं को ऊपर उल्लिखित एक या अधिक श्रेणियों अर्थात् प्रबंधकीय, तकनीकी या परामर्शी सेवाओं के अंतर्गत आना होगा।

16. बेशक, अपीलकर्ता/राजस्व के अनुसार, कमीशनरीरीसमझौते के तहत प्रत्यर्थी/निर्धारिती, को प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक रूप में एसआईपीएल द्वारा प्रकाशित पुस्तकों और पत्रिकाओं को बढ़ावा देने, बेचने और वितरित करने की आवश्यकता थी। इसके अलावा, कुछ जो अपीलकर्ता/राजस्व द्वारा विवादित नहीं हैं, प्रत्यर्थी/निर्धारिती के द्वारा निम्नलिखित सेवाएँ प्रदान की गई :

वैश्विक बिक्री और विपणन सेवाएं

(i) ग्राहक सेवाएं

(ii) ऑर्डर-हैंडलिंग

(iii) पता अनुरक्षण

(iv) स्टॉक कीपिंग और इन्वेंट्री प्रबंधन

(v) चालान

(vi) वितरण (भौतिक और साथ ही ऑनलाइन)

(vi) देनदार प्रबंधन सेवाएं

(vii) सदस्यता प्रबंधन

(ix) प्रतिलिपि याँ संसाधन

(x) वापसी प्रतिलिपियाँ संसाधन

17. उपरोक्त सेवाओं को प्रदान करने के लिए, प्रत्यर्थी/निर्धारिती को प्रत्यर्थी/निर्धारिती के मध्यस्थ के माध्यम से कमीशनरीरी की गई "किसी और सभी" बिक्री की शुद्ध राजस्व राशि पर 9.9% की दर से कमीशनरीरी का भुगतान किया गया था। (कमीशनरी समझौता अनुच्छेद 4a देखें)।

18. इसके अलावा, प्रत्यर्थी/करनिर्धारिती को एसआईपीएल को राजस्व हस्तांतरित करते समय, अथवा एस आई पी एल और उसके बीच सहमत कमीशनरीरी के किसी अन्य भुगतान को बनाए रखने का अधिकार दिया गया था

19. महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रकाशन का अधिकार एसआईपीएल के पास था, जिसे प्रत्यर्थी/कर निर्धारिती तीसरे पक्ष को "संपत्ति/लाइसेंस" प्रदान कर सकता था, भले ही वह एस आई पी एल की ओर से हो

20. कमीशनरी समझौते में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस तथ्य का संकेत देता हो कि प्रत्यर्थी/करनिर्धारिती को उन लक्ष्यों की खोज, विकास या परिभाषित/मूल्यांकन करने की आवश्यकता थी, जिन तक एसआईपीएल को पहुंचना था, अथवा यहां तक कि उन नीतियों को भी तैयार करना था जो इन

लक्ष्यों की ओर ले जाए, अथवा पहले से अपनाई गई नीतियों का पर्यवेक्षण या निष्पादन या परिवर्तन करें। प्रत्यर्थी /करनिर्धारिती कार्यकारी या पर्यवेक्षी कार्यों का निष्पादन नहीं कर रहा था। प्रत्यर्थी /करनिर्धारिती को केवल इतना करना था कि वह व्यवसाय के संचालन के लिए सहायता प्रदान करे।

20.1 कमिश्नेरी समझौते के अनुच्छेद 1² और 3³ में उल्लिखित दायित्वों की श्रृंखला को प्रबंधकीय सेवाओं के रूप में नहीं माना जा सकता है।

(क) कमीशनरी द्वारा इस करार में यथा निर्धारित अपने दायित्वों का पूर्ण और पूर्ण अनुपालन किए जाने पर प्रकाशक कमीशनरी के मध्यस्थ के माध्यम से कमीशनरी की गई किसी भी और सभी बिक्री की निवल राजस्व राशि पर 9.9 प्रतिशत का कमीशनरी देगा। इस तरह के कमीशनरी को प्रकाशक की ओर से कमीशनरी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए समेकित मुआवजे के रूप में माना जाना चाहिए जैसा कि इस समझौते के अनुच्छेद 3 में उल्लेख किया गया है और इस समझौते के अनुच्छेद 5 के अनुसार कमीशनरी द्वारा ग्रहण किए गए क्रेडिट जोखिम।

²अनुच्छेद 1. कमीशनरी एजेंसी की नियुक्ति और प्राधिकरण

प्रकाशक के उत्पादों को बढ़ावा देने और वितरित करने और वहां प्रकाशक के उत्पादों (अन्य के मध्य लेकिन प्रिंट पुस्तकों और पत्रिकाओं, ऑनलाइन पुस्तकों और पत्रिकाओं, ई-बुक्स, ऑनलाइन जर्नल आर्काइव, ऑनलाइन बुक आर्काइव और लाइसेंस तक सीमित नहीं है। इसके बाद इसे "उत्पाद" के रूप में संदर्भित किया जाएगा) के लिए ग्राहकों की जरूरतों और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अमेरिका (इसके बाद इसे शेष विश्व "आरओडब्लू" के रूप में संदर्भित किया जाएगा)को छोड़कर वैश्विक आधार पर बिक्री प्रतिनिधि के रूप में कमिश्नेर को गैर-विशिष्ट आधार पर नियुक्त किया जाता है

21. तकनीकी सेवाएं आम तौर पर लागू और औद्योगिक विज्ञान या शिल्प कौशल से जुड़ी होती हैं, जिसमें कला, या मानव विज्ञान जैसे क्षेत्रों को छोड़कर विशेष कौशल या ज्ञान शामिल होता है।

21.1 इसी तरह, परामर्श सेवाओं में एक विशेष क्षेत्र में पेशेवर सलाह या सेवा प्रदान करना शामिल है।

22. एक बार फिर, किसी विशेष कौशल या ज्ञान का कोई संदर्भ नहीं है जिसे उत्तरदाता / निर्धारिती कर्मियों ने कमीशनरी समझौते में उल्लिखित सेवाओं को प्रदान करने में लाया था। प्रचार, बिक्री, या

प्रकाशक अपने ग्राहकों को सीधे बिक्री करने का अधिकार रखता है।

कमीशनरीरीरीर प्रकाशक के वितरक के रूप में कार्य करेगा और इसलिए अपने स्वयं के नाम पर कार्य करेगा लेकिन प्रकाशक के जोखिम और खाते के लिए, उत्पादों के लिए मूल्य प्रकाशक द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

³ अनुच्छेद 3. कमीशनरीरीरीरी की बुनियादी जिम्मेदारियों का दायरा

कमीशनरीरीरीर उद्योग के उच्चतम मानकों के अनुसार और प्रकाशक के नियमों और शर्तों के अनुसार, प्रकाशक द्वारा आवश्यक निम्नलिखित सेवाओं (या तो स्वयं या संबंधित या गैर-संबंधित पक्ष के प्रतिनिधिमंडल के माध्यम से) का आवश्यक प्रदर्शन करेगा:

(क) ग्राहक सेवाएं

(ख) ऑर्डर का प्रबंधन

(ग) पता रखरखाव

(घ) स्टॉक-रखना और इन्वेंट्री प्रबंधन

(ङ) चालान

(च) वितरण (भौतिक और साथ ही ऑनलाइन पहुंच)

(छ) देनदार प्रबंधन सेवाएं (उदाहरण के लिए बकाया चालान एकत्र करना)

(ज) सदस्यता प्रबंधन

(झ) वापसी प्रतिलिपियों का संस्करण

कमीशनरी वैश्विक बिक्री और विपणन सेवाओं की अवश्य व्यवस्था करेगा। कमीशनरी द्वारा किए गए वैश्विक बिक्री और विपणन लागत के आवंटन का भुगतान अनुच्छेद 4 ए में उल्लिखित सकल कमीशनरी से किया जाएगा।

एसआईपीएल के प्रकाशनों का वितरण, अथवा कमीशनरी समझौते के अनुच्छेद 3 में उल्लिखित प्रकृति की सहायता सेवाएं प्रदान करना, हालांकि इसमें मानवीय हस्तक्षेप शामिल है, हमारे विचार में, तकनीकी और / या परामर्श सेवाओं की श्रेणी में नहीं आता है। कमीशनरी समझौते के तहत विचार की गई सेवाओं को प्रदान करने के लिए प्रत्यार्थियो/कर निर्धारती के कर्मियों के पास कोई विशेष कौशल या ज्ञान नहीं था। प्रत्यर्थी/कर निर्धारती ने किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित कोई पेशेवर सलाह या सेवा भी नहीं दी। जैसा कि ऊपर बताया गया है, एक सेवा को तकनीकी सेवा के रूप में वर्गीकृत करने के लिए, इसे लागू विज्ञान से संबंधित होना चाहिए, अर्थात् , व्यावहारिक अनुप्रयोगों के लिए वैज्ञानिक ज्ञान का उपयोग करना, या उद्योग से संबंधित या उससे प्राप्त औद्योगिक विज्ञान।

23. इसलिए, श्री भाटिया की यह दलील कि मानवीय हस्तक्षेप के कारण, प्रत्यार्थियो/करनिर्धारती द्वारा प्रदान की गई सेवाओं को तकनीकी सेवाओं के रूप में माना जाना चाहिए, एक निवेदन है, जो हमारे अनुसार पूरी तरह से गलत है।

24. इस स्थिति को देखते हुए, हम प्रत्यार्थियो /करनिर्धारती द्वारा प्राप्त कमीशनरी के कारण 22,89,835 रुपये की राशि को हटाने के संबंध में अधिकरण द्वारा लिए गए निर्णय में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं।

सीआईटी (ए) का यह निष्कर्ष कि प्रत्यर्थियो/करनिर्धारित द्वारा प्राप्त उक्त राशि में एफटीएस के गुण थे, हमारे विचार से गलत था।

24.1 एफटीएस का गठन करने वाले गुणों पर *डीआईटी बनाम पनाल्फा ऑटोलेक्ट्रिक लिमिटेड* में इस न्यायालय के समन्वय पीठ के फैसले द्वारा व्यापक रूप से विचार किया गया है। इस फैसले में *वालेस फार्मास्युटिकल्स (प.) लिमिटेड*, में समन्वय पीठ ने अग्रिम निर्णय प्राधिकरण (एएआर) के आदेश पर विचार किया है श्री भाटिया द्वारा फैसले को अलग करने का प्रयास *डीआईटी बनाम पनाल्फा ऑटोलेक्ट्रिक लिमिटेड* असफल होना चाहिए, क्योंकि यह निर्णय के सही अनुपात से चूक जाता है।

25. यह हमें दूसरे परिवर्धन पर लाता है। हमें ध्यान देना चाहिए कि बहस के दौरान, श्री भाटिया ने संकेत दिया था कि प्रत्यर्थी /निर्धारती द्वारा ई-पत्रिकाओं के लिए सदस्यता शुल्क के रूप में प्राप्त 16,67,83,110/- रुपये की अतिरिक्त राशि को रॉयल्टी के रूप में नहीं माना जा सकता है, इंजीनियरिंग विश्लेषण में सर्वोच्च न्यायालय के दिए गए निर्णय में दिया गया है। हालांकि, लिखित प्रस्तुतियों में, पहली बार, प्रस्तुतीकरण के विपरीत, एक तर्क दिया गया है कि सदस्यता शुल्क को एफटीएस के रूप में माना जाना चाहिए, और विकल्प में, रॉयल्टी के रूप में।

25.1 हमारी राय है, कि यह निवेदन कि सदस्यता शुल्क को एफटीएस के रूप में माना जाए, स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अधिकरण के समक्ष

अपीलकर्ता/राजस्व का यह रुख नहीं था। यह एक फ्लिप-फ्लॉप है जिसे प्रत्यर्थी/निर्धारती को छोड़ना बेहतर होगा।

25.2 इसके अलावा, हमारी राय में, सदस्यता राशि को रॉयल्टी के रूप में नहीं माना जा सकता है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह सुझाव देता हो कि प्रत्यर्थी / निर्धारिती ने ई-पत्रिकाओं के संबंधित ग्राहकों को कॉपीराइट के संबंध में अधिकार दिया है। सभी / निर्धारिती ने जो कुछ भी किया, वह यह था कि उक्त सामग्री में कोई कॉपीराइट प्रदान किए बिना, कॉपीराइट प्रकाशन को संबंधित संस्थाओं को बेच दिया गया।

25.3 हमारे विचार में, इंजीनियरिंग विश्लेषण के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को देखते हुए, अधिकरण ने मद के तहत किए गए परिवर्धन को हटा दिया।

26. इस प्रकार, पूर्वगामी कारणों से, हमारा विचार है कि हमारे विचार के लिए कानून का कोई ठोस प्रश्न नहीं उठता है। उठाए गए मुद्दे ऊपर उल्लिखित निर्णयों द्वारा शामिल किए गए हैं।

27. तदनुसार, अपील को समाप्त किया जाता है।

राजीव शकधर)
न्यायाधीश

(गिरीश कठपालिया)
न्यायाधीश

12 जुलाई, 2023

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

